

15

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) उदयपुर मण्डल, उदयपुर
रेजीडेन्सी स्कूल परिसर, उदयपुर (राज.)-313001

Email: -jdeduudr@gmail.com

Telephone: -0294-2421621

क्रमांक-संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा)/उदय/संस्था-स/फा-स्थाईकरण/2020/1 दिनांक 21.05.2020

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
बांसवाडा / चित्तौडगढ / डूंगरपुर /
प्रतापगढ / राजसमन्द / उदयपुर

विषय:- आरपीएससी-2016 से चयनोपरान्त सीधी भर्ती से 2 वर्ष के लिए प्राबेशन ट्रेनी के रूप में नियुक्त व0अ0 के परिवीक्षा काल समाप्ति एवं स्थाई करण हेतु प्रकरण भिजवाने बाबत


विषयान्तर्गत लेख है कि आरपीएससी-2016 से चयनोपरान्त सीधी भर्ती से 2 वर्ष के लिए प्राबेशन ट्रेनी के रूप में नियुक्त अभ्यर्थियों को वरिष्ठ अध्यापक (विषयवार) के पद पर नियुक्ति आदेश माह अप्रैल 2018 में जारी किये गये थे इसमें से आपके जिले में कार्यग्रहण करने वाले वरिष्ठ अध्यापको के परिवीक्षा काल समाप्ति एवं स्थाईकरण हेतु प्रकरण सलंगन निर्धारित प्रपत्र में निम्नलिखित दस्तावेजों सहित अधिनस्थ संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से ई-मेल से प्राप्त कर सकलित करके अपनी स्पष्ट अभिशंषा सहित इस कार्यालय को ई-मेल पर उपलब्ध करावे ताकि अप्रैल 2020 तक परिवीक्षाकाल पूर्ण कर चुके इन वरिष्ठ अध्यापको के स्थाईकरण आदेश एक साथ जारी किये जा सकें ।

1. पूर्ण रूप से भरा हुआ निर्धारित प्रपत्र संबंधित संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित एवं सीबीईओ द्वारा अभिशंषित ।
2. प्रोबेशन ट्रेनी अवधि से संबंधित सत्रों के कक्षा-8 एवं 10 बोर्ड परीक्षा परिणाम ।

प्रोबेशन ट्रेनी अवधि में अवैतनिक व असाधारण अवकाश पर रहा है तो उसकी स्वीकृति नियुक्ति अधिकारी 30 दिवस तक एवं 30 से अधिक होने पर राज्य सरकार से आवश्यक है एतदर्थ किसी व0अ0 के प्रोबेशन ट्रेनी अवधि का असाधारण अवकाश सक्षमस्तर से स्वीकृत नहीं हो रखा है तो पहले उसका असाधारण अवकाश स्वीकृत करावे सक्षम स्तर से बिना असाधारण अवकाश स्वीकृत कराये परिवीक्षाकाल समाप्ति एवं स्थाईकरण हेतु प्रकरण नहीं भिजवावे ।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार

www.rajteachers.com


संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा)
उदयपुर सम्भाग उदयपुर

**परीविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी(प्रोबेशनर ट्रेनर) के वेतन
नियमितिकरण/स्थायिकरण हेतु आवेदन**

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1(2)एफ डी/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006 के प्रावधानान्तर्गत दो वर्ष के परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियम स्थिर मानदेय/विद्यमान वेतन मान में नियुक्त वरिष्ठ अध्यापक/वशाशि की परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण किये जानें पर नियमित वेतनमान प्रदत्त करने /सेवा स्थायिकरण हेतु आवेदन पत्र

1	नाम (परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी)	
2	पद व विषय	
3	मेरिट क्रमांक	
4	पिता का नाम	
5	जन्म तिथी	
6	कार्यग्रहण तिथी	
7	कार्यग्रहण दिनांक (आदेश सलंगन करे)	
8	पद पर अनवरत कार्यरत है या नहीं	
9	नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक(आदेश सलंगन करे)	
10	पद पर नियमित वेतनमान की प्रस्तावित तिथी	
11	परीक्षा परिणाम कक्षा व सत्रवार (सलंगन करे)	
12	संस्था प्रधान के दूरभाष/मोबाईल नम्बर	

13. परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी का सेवा विवरण

क्र.स.	विद्यालय का नाम	कार्यरत अवधि		विशेष विवरण
		कब से	कब तक	

14. उपभोग किये गये अवकाशो का विवरण:-

आकस्मिक अवकाश के अलावा स्वीकृत किये गये अवकाशो के आदेशो या सेवापुस्तिका के अवकाश इन्द्राज पृष्ठ की प्रति संलग्न करे।

क्र.सं.	अवकाश का प्रकार	अवकाश का दिनांक वार विवरण	कुल संख्या
1	प्रसूति अवकाश		
2	पितृत्व अवकाश		
3	अवैतनिक अवकाश		
4	परिवर्तित अवकाश		
5	आकस्मिक अवकाश(पद व कार्यग्रहण तिथि से)		
6	अन्य अवकाश		

दिनांक.....

हस्ताक्षर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी

विद्यालय का नाम:—.....

कार्यालयाध्यक्ष / संस्थाप्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री.....
.पद.....विषय.....का उपरोक्त विवरण
विद्यालय / कार्यालय में उपलब्ध रेकॉर्ड से मिलान कर लिया गया है तथा पूर्णतः सही हैं ।
उक्त कार्मिक के विरुद्ध सीसीए-16 व 17 में कोई अनुशासनात्मक विभागीय कार्यवाही नहीं
चल रही है एवं न ही प्रस्तावित है। उक्त अवधि में इनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन
में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं है । इनका कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक है । इनको
दिनांक.....से राजस्थान सिविल सेवा पूनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के
नियम 21 अनुसूची 5 में अंकित प्रावधानानुसार नियमित वेतन श्रृंखला एवं देय अन्य भत्ते
नियमानुसार स्वीकृत किये जाने एवं सेवा स्थाईकरण की अभिशंषा की जाती है ।

संस्था प्रधान का नाम मय
हस्ताक्षर

कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान.....

क्रमांक:—

दिनांक

श्री / श्रीमती / सुश्री.....पद.....विषय.....
पदस्थापन स्थान.....जिला द्वारा
परिविक्षाकाल की अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने तथा इनके विरुद्ध किसी तरह की
अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन / प्रस्तावित नहीं होने पर संस्था प्रधान की अभिशंषा
को मध्यनजर रखते हुए इनको नियमित वेतन श्रृंखला स्वीकृत करने एवं इनकी सेवाए
स्थाईकरण की अभिशंषा की जाती है ।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक / प्रारम्भिक.....

मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी
.....जिला.....